

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

उच्च अदालत उपखण्ड अधिकारी
चन्द्रगीराम वर्गो बनाम

मुकाम नीमकाथाना

भूमिधारी

प्रार्थना पत्र 128


मु0नं0 214 सन् 2024

जीसीएमएस नं.


हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व सारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30.05.2024 को पेश हो।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम झिराणा पटवार हल्का झिराणा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 354, 355, 356, 357, 358, 359 कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 हैक्ट0 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।


(राजवीर सिंह यादव) आदेश
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

प्रा0 पत्र 214/2024

निर्णय दिनांक 30.05.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम झिराणा पटवार हल्का झिराणा तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 354, 355, 356, 357, 358, 359 कुल किता 6 कुल रकबा 1.77 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2023 पत्थरगढी की पेश हो। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली वाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफतर में पेश हो।



निर्णय मय दस्तावेज सन्ताना गया।

